

11 कार्यालय पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।

167

क्रमांक सीआईडी/सीबी/पुनर्जा रसी/सी-118/105/81/1039-1814

जयपुर, दिनांक 3 नवम्बर, 81

स्टेडिम आदेश संख्या 3/81

मेरे यह ध्यान में लाया गया है कि यानों के भार साधक पदाधिकारियों द्वारा सविध अपराधियों, सम्पन्न कटकों एवं अजनबी व्यक्तियों के बाल चलन हेतु "पर्व" लस्टीक दूसरे यानों पर भेजे जाते हैं, वहां उन यानों में उनका उत्तर भेजे जाने वास्तव समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तथ्य पर जोर देना उचित होगा कि अपराधों की रोकथाम में पर्व लस्टीक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः जिन यानों पर ये भेजे जाते हैं उनके भार साधक पदाधिकारियों को इनका सही निस्तारणा शक्ति से करना चाहिये।

2) अतः समस्त भार साधक पदाधिकारियों एवं उनके उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि वे भविष्य में इस मामले की पूर्ण महत्व देकर सीजाति सीधे वांछित सूचना संबंधित यानों को प्रेषित किया करें।

ज्ञान चन्द सिंघवी
पुलिस महा निरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :-

- 1- विजिट पुलिस महा निरीक्षक, अजमेर, सतलुकी एवं नियम, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विजिट पुलिस महा निरीक्षक, ए0सी0डी0, राजस्थान, जयपुर।
- 3- अपर पुलिस महा निरीक्षक, सीआईडी, सीबी एवं विजिट, राज0, जयपुर।
- 4- समस्त पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 5- सहायक पुलिस महा निरीक्षक, ए0, एवं दायिक, राज0, जयपुर।
- 6- समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 7- प्रिन्सिपल, अपर एसी0ए0, जयपुर।
- 8- प्रिन्सिपल, ए0एसी0/सी0एसी0 एवं ए0ए0सी0, ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर।
- 9- समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
- 10- समस्त भार साधक पदाधिकारियों, राजस्थान।
- 11- मोर्ड, ए0 एसी0ए0 एवं ए0ए0, राजस्थान, जयपुर।

ज्ञान चन्द सिंघवी
पुलिस महा निरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर।